औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 23)

[2 अप्रैल, 1993]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उपक्रम के कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कम्पनी को अन्तरण का और उसमें निहित होने का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने और साथ ही औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 है ।

(2) यह 1 अक्तूबर, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार धारा 3 के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाया और रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड अभिप्रेत है;

(ग) "निगम" से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अभिप्रेत है ।

4. निगम के उपक्रम का कंपनी में निहित होना—ऐसी तारीख को जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, निगम का उपक्रम, कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगा ।

5. उपक्रम का कंपनी में निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व निगम का प्रत्येक शेयर धारक नियत दिन से ही कंपनी के शेयर धारक के रूप में उस सीमा तक रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा जहां तक ऐसे शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों का अंतिम मूल्य है ।

(2) निगम के उपक्रम के बारे में जो धारा 3 के अधीन कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हो जाता है यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत सभी कारबार, आस्तियां, अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और किसी भी प्रकृति की और कहीं भी स्थित सभी जंगम और स्थावर, पूर्ण स्वामिक स्थावर और व्यक्तिगत, मूल और अमूर्त, कब्जे या आरक्षण में की, वर्तमान या समाश्रित संपत्तियां, जिनके अंतर्गत भूमि, भवन, यान, रोकड़ बाकी, निक्षेप, विदेशी करेंसी, प्रकटित और अप्रकटित आरक्षितियां, आरक्षित निधियां, विशेष आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, स्टाक, विनिधान, शेयर, बंधपत्र, डिबेंचर, प्रतिभूति, किसी औद्योगिक समुत्थान का प्रबंध, औद्योगिक समुत्थान को दिया गया उधार, अग्रिम और प्रत्याभूति, अभिधृतियां, पट्टे और बही ऋण और ऐसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं जो नियत दिन के ठीक पूर्व निगम के उपक्रम से संबंध में, भारत में या भारत से बाहर निगम के स्वामित्व, कब्जे या शक्ति में थे और उससे संबंधित सभी लेखा बहियां, रजिस्टर, अभिलेख और दस्तावेज हैं और यह भी समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत, भारत में या भारत से बाहर निगम के उपक्रम के संबंध में, निगम के सभी प्रकार के उस समय विद्यमान सभी उधार, दायित्व और बाध्यताएं, भी होंगी ।

(3) सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, प्रत्याभूतियां, मुख्तारनामे, अन्य लिखतें और काम करने के बारे में ठहराव जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं और निगम को प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावी नहीं रहेंगे या निगम के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं रहेंगे तथा उस कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में, जिसमें निगम का उपक्रम इस अधिनियम के आधार पर निहित हो गया है उनका वैसा ही पूर्ण बल और प्रभाव होगा तथा उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से प्रवर्तित किया जाएगा मानो निगम के स्थान पर वहां कंपनी को उसमें नामित किया गया हो या वह उसमें एक पक्षकार रही हो ।

(4) निगम द्वारा या उसके विरुद्ध उसके उपक्रम के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व लंबित या विद्यमान कोई कार्यवाही या वाद हेतुक, नियत दिन से उस कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध, जिसमें निगम का उपक्रम इस अधिनियम के आधार पर निहित हो गया है, उसी प्रकार चालू रखा जा सकेगा और प्रवर्तित किया जा सकेगा जिस प्रकार वह निगम द्वारा या उसके विरुद्ध तब प्रवर्तित किया गया होता जब यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और निगम द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं रहेगा ।

5. रियायतों, आदि का कंपनी को दिया गया समझा जाना—नियत दिन से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगम के कार्यकलाप और कारबार के संबंध में निगम को दी गई सभी वित्तीय और अन्य रियायतें, अनुज्ञप्तियां, फायदे, विशेषाधिकार और छूट, कंपनी को दी गई समझी जाएंगी ।

6. कर-छूट या फायदे का प्रभावी बना रहना—(1) जहां, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन निगम को किसी कर से छूट दी गई है या उसकी बाबत कोई निर्धारण किया गया है या किसी शेष अवक्षयण या विनिधान मोक या अन्य मोक या हानि का मुजरा या अग्रनयन करके कोई फायदा पहुंचाया गया है या उसे वह उपलब्ध है वहां ऐसी छूट, निर्धारण या फायदा कंपनी के संबंध में प्रभावी बना रहेगा ।

(2) जहां निगम द्वारा किया गया कोई संदाय, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के किसी उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती से छूट प्राप्त है वहां ऐसी छूट वैसे ही उपलब्ध रहेगी मानो निगम को लागू किए गए उक्त अधिनियम के उपबंध कंपनी के संबंध में प्रवर्तन में हों ।

(3) धारा 3 के निबंधनों के अनुसार उपक्रम या उसके किसी भाग के अंतरण या निहित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनों के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अर्थ में अंतरण है ।

7. प्रत्याभूति का प्रवर्तन में रहना—निगम के संबंध में या उसके पक्ष में किसी ऋण, पट्टा, वित्त पोषण या अन्य सहायता की बाबत दी गई कोई प्रत्याभूति कंपनी के संबंध में प्रवर्तन में बनी रहेगी ।

8. निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में उपबंध—(1) निगम का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (बोर्ड के निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को छोड़कर), जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसके नियोजन में सेवारत है, जहां तक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस उपक्रम के संबंध में जो इस अधिनियम के आधार पर कंपनी में निहित हो गया है, नियोजित है, नियत दिन से ही, कंपनी का, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा और उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, उन्हीं बाध्ताओं पर तथा छुट्टी, छुट्टी यात्रा भाड़ा रियायत, कल्याण स्कीम, चिकित्सा प्रसुविधा स्कीम, बीमा, भविष्य-निधि, अन्य निधि, सेवा निवृत्ति, स्वैच्छिक निवृत्ति, उपदान और अन्य फायदों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ उसमें अपना पद या सेवा धारण करेगा जो वह निगम के अधीन उस दशा में धारण करता यदि निगम का उपक्रम, कंपनी में निहित नहीं हुआ होता और वह कंपनी के, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में ऐसा करता रहेगा अथवा नियत दिन से छह मास की अवधि की समाप्ति तक ऐसा करता रहेगा यदि ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसी अवधि के भीतर कंपनी का अधिकारी या अन्य कर्मचारी नहीं बना रहना चाहता ।

(2) जहां निगम का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, उपधारा (1) के अधीन कंपनी के नियोजन या सेवा में न रहने का विकल्प करता है वहां ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है ।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का कंपनी को अंतरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(4) ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो नियत दिन के पूर्व निगम की सेवा से निवृत्त हो गए हैं और किन्हीं प्रसुविधाओं, अधिकारों, या विशेषाधिकारों के हकदार हैं, कंपनी से वैसी ही प्रसुविधाएं, अधिकार और विशेषाधिकार पाने के हकदार होंगे ।

(5) निगम के भविष्य-निधि या उपदान निधि संबंधी न्यास और अधिकारियों या कर्मचारियों के कल्याण के लिए सृजित कोई अन्य निकाय, कंपनी में अपने कृत्यों का निर्वहन वैसे ही करते रहेंगे जैसे कि वे निगम में अब तक किया करते थे और भविष्य-निधि या उपदान निधि के संबंध में दी गई कोई कर-छूट, कंपनी की बाबत लागू रहेगी ।

(6) इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या निगम के विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, निगम के कारबार और कार्यकलापों के संपूर्ण या पर्याप्त भाग का प्रबंध करने का हकदार बोर्ड का कोई निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति, पद की हानि या निगम के साथ उसके द्वारा की गई किसी प्रबंध संविदा के समयपूर्व पर्यवसान की बाबत निगम या कंपनी से कोई प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा ।

9. कंपनी की बहियों को 1891 के अधिनियम 18 का लागू होना—कंपनी बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के प्रयोजनों के लिए बैंक समझी जाएगी ।

10. शेयरों, बंधपत्रों और डिबेंचरों का अनुमोदित प्रतिभूतियां समझा जाना—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के शेयर, बंधपत्र और डिबेंचर, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) [1]* * *

11. 1948 के अधिनियम 15 का निरसन और व्यावृत्ति—(1) नियत दिन को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 निरसित हो जाएगा ।

(2) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के निरसन के होते हुए भी, कंपनी, इस प्रकार निरसित अधिनियम की धारा 33, धारा 34, धारा 34क, धारा 35 और धारा 43 के उपबंधों का जहां तक हो सके, निगम के वार्षिक लेखाओं से संबंधित किन्हीं प्रयोजनों के लिए अनुपालन करेगी ।

12. निरसन और व्यावृत्ति—(1) औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यायादेश संख्यांक 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्यांक 5) के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

———

[1] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 17 द्वारा लोप किया गया ।